UPSI 120004322024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785

दीवानी वाद संख्या-113/ 2024

अब्दुल कलाम आदि बनाम विशुन कुमार आदि।

दिनाँक 01.04.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई प्रतिबन्ध जरिए अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

<u>आदेश</u>

वाद दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण पैरवी करें। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनाँक 07.05.2024 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनाँक 14.05.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6ग^{2}

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग^{2} अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण को वादीगण के स्वामित्व की भूमि गाटा संख्या 316 रकबा 0.0930हे० स्थित ग्राम कुतुबपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जनपद सीतापुर पर कब्जा करने उस पर लगी गन्ने की फसल को नष्ट करने एवं अन्य किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करने से प्रतिवादीगण को वाद के निष्तारण तक के लिए निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में सूची 11ग^{1} से इन्तखाब खतौनी ग्राम कुतुबपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर व खसरा ग्राम कुतुबपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर प्रस्तुत किया गया है।

वादी की ओर से सूची 11ग से दाखिल खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 316 व रकबा 0.0930 हे० राजस्व अभिलेखों मे वादीगण के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 6ग^{2} के समर्थन में एवं विवादित भूमि पर अपने अध्यासन के समर्थ में शपथ पत्र 7ग^{2} एवं का०सं० 13ग खसरा दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा दाखिल राजस्व प्रपत्रों तथा शपथ-पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादीगण का बनता है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत न्यायहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नियत तिथि तक के लिए प्रतिवादीगण को वादीगण की उपरोक्त भूमि गाटा संख्या 316 रकबा 0.0930 हे० स्थित ग्राम कुतुबपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर के किसी भी अंश पर जबरन कब्जा करने, उस पर लगी गन्ने की फसल को

नष्ट करने, एवं किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को निषेधित कर दिया जाये। तद्नुसार इस स्तर पर विवादित स्थल को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अग्रिम नियत तिथि तक प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह वादीय भूमि गाटा संख्या 316 रकबा 0.0930 हे० स्थित ग्राम कुतुबपुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर पर किसी प्रकार का कब्जा व हस्तक्षेप न करें तथा गन्ने की फसल को नष्ट न करें। यह आदेश मात्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य ही प्रभावी होगा। वादीगण आदेश 39 नियम 3 जा०दी० का अनुपालन अविलम्ब करें। वादीगण के पैरवी करने के उपरान्त ही इस आदेश की प्रति जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग^2 दिनाँक 29.04.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8ग^2

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 8ग^2 बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8ग^2 स्वीकार किया जाता है। अमीन कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अमीन कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।कमीशन कार्य हेतु वादीगण आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

दिनाँक 01.04.2024

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2024.04.01 17:13:46 BOT
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan